



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102024-257644
CG-DL-E-03102024-257644

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 1, 2024/आश्विन 9, 1946

No. 284]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2024/ASVINA 9, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

मामला सं. एडी (ओआई) - 29/2024

विषय: तुर्की, रूस, यूएसए और ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा ऐश के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

- फा. सं. 6/31/2024-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए अल्कली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) (जिसे आगे 'आवेदक एसोसिएशन' भी कहा गया है) ने आरएसपीएल लिमिटेड, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड और जीएचसीएल लिमिटेड (जिन्हें आगे घरेलू उद्योग या आवेदक कंपनियां कहा गया है) की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें रूस, तुर्की, यूएसए और ईरान) जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा ऐश (जिन्हें आगे विचाराधीन उत्पाद या संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और और वास्तविक क्षति का खतरा है और उसने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद "डाईसोडियम कार्बोनेट" है जिसे प्रसिद्ध रूप में "सोडा ऐश" के रूप में जाना जाता है और इसका सूत्र Na_2CO_3 है। सोडा ऐश एक सफेद क्रिस्टलीय जल में घुलनशील सामग्री है। इसे भारतीय उत्पादकों द्वारा दो रूपों में उत्पादित किया जाता है – लाइट सोडा ऐश और टेंस सोडा ऐश। दोनों प्रकारों में अंतर घनत्व का होता है जिसे या तो प्राकृतिक सोडा ऐश या सिंथेटिक ऐश सोडा के रूप में बताया जा सकता है। ये दोनों उत्पाद अनिवार्य रूप से समान हैं और आवेदक द्वारा दायर आवेदन में सभी प्रकार और रूप के सोडा ऐश शामिल हैं।
4. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत कोड 283620 के अधीन आयातित किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे में बाध्यकारी नहीं है।
5. वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच शुरुआत की सूचना की प्राप्ति के परिचालन के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद संबंधी अपनी टिप्पणियां और पीसीएन (औचित्य सहित), यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

6. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है और ये दोनों समान वस्तुएं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को प्रथमदृष्ट्या संबद्ध देशों से आयातित किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, आरएसपीएल लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड और टाटा केमिकल्स लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाली अल्कली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा दायर किया गया है। भागीदार उत्पादकों के अलावा, एक अन्य उत्पादक अर्थात् तूतीकोरिन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएसी) मौजूद है।
8. आवेदक कंपनियों डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, आरएसपीएल लिमिटेड और जीएचसीएल ने विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं का आयात नहीं किया है। टाटा केमिकल्स का यूएसए में एक संबंधित उत्पादक है; हालांकि, इसने आधार वर्ष में केवल न्यूनतम मात्रा में आयात किया।
9. इसके अलावा, निरमा लिमिटेड का यूएसए में मेसर्स सीयरलेस वैली मिनरल्स (एसवीएम) नामक एक संबंधित उत्पादक भी है। भारत में विषयगत देशों से सोडा ऐश के कुल आयात, सभी स्रोतों से कुल आयात और कुल भारतीय उत्पादन को देखते हुए जांच अवधि में निर्यात काफी कम है।
10. प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक कंपनियों नियम 2(बी) के अर्थ में पात्र घरेलू उद्योग (कुल भारतीय उत्पादन का 98%) का गठन करती हैं और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

11. वर्तमान जांच में संबद्ध देश तुर्की, रूस, यूएसए और ईरान हैं।

ङ. जांच की अवधि

12. जांच के लिए प्रस्तावित जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 (06 महीने) की है। तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 (9 महीने की अवधि) पर जांच

अवधि पर विचार किया है। क्षति जांच अवधि में 2020 – 2021, 2021– 2022, 2022 अप्रैल – सितंबर 2023 और जांच की अवधि शामिल होंगी।

च. कथित पाटन का आधार

यूएसए के लिए सामान्य मूल्य

13. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसके पास संबद्ध देशों में बिक्री कीमत के किसी साक्ष्य तक पहुंच नहीं है। अतः घरेलू उद्योग ने आईएचएस मार्केट: पीओआई के लिए सोडा ऐश मंथली में प्रकाशित कीमतों पर यूएसए में सामान्य मूल्य जांच करने के लिए भरोसा किया है। घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया सामान्य मूल्य पर जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

तुर्की, रूस और ईरान (यूईई के जरिए) के के जरिए ईरान के लिए सामान्य मूल्य

14. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसके पास संबद्ध देशों में बिक्री कीमत के किसी साक्ष्य तक पहुंच नहीं है। अतः घरेलू उद्योग ने उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य परिकल्पित किया है जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया सामान्य मूल्य पर जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

15. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में यथा सूचित विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय मालभाड़ा व्यय के लिए समायोजनों का दावा किया गया है। संबद्ध देशों के लिए केवल निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं।

पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वारा स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या सिद्ध करती है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

17. घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से कीमत में कटौती सकारात्मक है। आयातों का पहुंच मूल्य बिक्री लागत और बिक्री मूल्य से कम है, जिससे घरेलू बाजार में कीमत में गिरावट आ रही है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लाभ, नकदी प्रवाह और आरओआई में गिरावट आ रही है। जांच अवधि में पाटित आयातों का बाजार हिस्सा काफी बढ़ गया है और घरेलू उद्योग का हिस्सा घट गया है। यह भी दावा किया गया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में कम हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप जांच अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि आयातों में वृद्धि की दर, संबद्ध देशों में स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य क्षमताओं और संबद्ध आयातों के कारण होने वाले मूल्य दमन को देखते हुए, आयातों से भौतिक क्षति का खतरा पैदा हो रहा है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति तथा भौतिक क्षति के खतरे के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, जो पाटनरोधी जांच शुरू करने को उचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से

निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का इस जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adv11-dgtr@gov.in; consultant-dgtr@govcontractor.in; jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in को ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
21. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार और भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना में, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथा विहित ढंग और तरीके से जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
24. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना और आगे की कार्रवाई से अवगत रहने के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार उस तारीख से जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय अंश को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित या निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को हस्तांतरित किया जाएगा, से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adv11-dgtr@gov.in; consultant-dgtr@govcontractor.in; jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
27. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली 1995के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

29. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
30. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशिकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।
32. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार, नियमावली 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।
33. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
34. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के पर्याप्त और उचित कारण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

36. पंजीकृत इच्छुक पक्षों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन का गोपनीय संस्करण सभी अन्य इच्छुक पक्षों को ईमेल करें। सबमिशन/प्रतिक्रिया/सूचना के गोपनीय संस्करण को प्रसारित न करने पर इच्छुक पक्ष को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department Of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2024

Case No. ADD (OI) - 29/2024**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Soda Ash originating in or exported from Turkey, Russia, USA and Iran.**

1. **F. No. 6/31/2024-DGTR.**—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) (hereinafter referred to as the ‘applicant association’) on behalf of RSPL Ltd, DCW Ltd., Nirma Ltd., Tata Chemicals Limited and GHCL Ltd (hereinafter referred to as ‘domestic industry’ or ‘applicant companies’) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), for initiation of Anti-dumping investigation on imports of Soda Ash (hereinafter referred to as the ‘product under consideration’ or ‘subject goods’), originating in or exported from Russia, Turkey, USA & Iran (hereinafter referred to as the ‘subject countries’).

2. The domestic industry has alleged that material injury and threat of material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating in or exported from the subject countries and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the product under consideration from the subject countries.

A. Product under consideration

3. The product under consideration is “Disodium Carbonate”, also popularly known as “Soda Ash” having formula as Na_2CO_3 . Soda Ash is a white, crystalline, water-soluble material. It is produced in two forms by the Indian Producers - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is the bulk density. It can be either natural soda ash or synthetic soda ash. Both products are essentially the same and the application filed by the applicant includes all types and form of Soda Ash.

4. The product under consideration is imported under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975, under the code 283620. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

5. The parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and PCN (with justification), if any, within 15 days of initiation of the investigation.

B. Like article

6. The domestic industry has submitted that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and exported from the subject countries and both are like articles. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the product produced by the domestic industry has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject countries.

C. Domestic industry & standing

7. The application has been filed by Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) representing DCW Ltd, RSPL Ltd, Nirma Ltd., GHCL Ltd, and Tata Chemicals Ltd. Apart from the participating producers, one other producer exists, namely, Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilizers Ltd. (TAC).

8. The Applicant companies DCW Ltd., RSPL Ltd., and GHCL have not imported the subject goods from subject countries. Tata Chemicals has a related producer in the USA; however, it imported minimal quantities only in the base year.

9. Further, Nirma Ltd also has a related producer namely M/s Searless Valley Minerals (SVM) in USA. The exports in the POI are quite low considering total imports of soda ash in India from subject countries, total imports from all sources and total Indian production.
10. Based on the information provided, it is seen that the Applicant companies constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3).

D. Subject countries

11. The subject countries in the present investigation are Turkey, Russia, USA & Iran.

E. Period of investigation

12. The period of investigation (POI) proposed for the investigation is from 1st October 2023 to 31st March 2024 (06 months). However, the Authority has considered the period of investigation (POI) for the present investigation from 1st October 2023 to 30th June 2024 (a period of 9 months). The injury investigation period will cover the periods 2020 – 2021, 2021 – 2022, April 2022-September 2023 and the period of investigation.

F. Basis for alleged dumping

Normal Value for USA

13. The domestic industry has claimed that it does not have access to any evidence of selling price in the subject countries. Therefore, domestic industry has relied upon prices published in IHS Markit: Soda Ash Monthly for the POI for arriving at the normal value in USA. The normal value claimed by the domestic industry has been considered for the purpose of initiation.

Normal Value for Turkey, Russia & Iran

14. The domestic industry has claimed that it does not have access to any evidence of selling price in the subject countries. Therefore, domestic industry has constructed the normal value based on the best estimates of cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin. The methodology for determination of normal value claimed by the domestic industry has been considered for the purpose of initiation.

Export Price

15. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DGCI&S transaction wise data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight expenses. There is sufficient *prima facie* evidence with regard to the net export prices for the subject countries.

Dumping Margin

16. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level with respect to the product under consideration imported from the subject countries. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

G. Injury and causal Link

17. The domestic industry has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject countries has increased significantly in absolute as well as relative terms. The price undercutting from the subject countries is positive. The landed price of imports is below cost of sales as well as selling price causing price depression in the domestic market and consequently causing decline in profits, cash flow and ROI of the domestic industry. The market share of the dumped imports has increased significantly in the POI and that of domestic industry has declined. It has also been claimed that because of the dumped imports from the subject countries, the production and capacity utilization of the domestic industry have declined in POI from previous year leading to decline in the market share of the domestic industry in the period of investigation. The applicant has also claimed that the imports are causing threat of material injury, considering the rate of increase in imports, freely disposable capacities in subject countries and price suppression being caused by subject imports. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury and threat of material injury being caused to the domestic industry due to dumped imports from the subject countries to justify the initiation of the anti-dumping investigation.

H. Initiation of anti-dumping investigation

18. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the domestic industry and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry concerning the

dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential material injury and threat of material injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Procedure

19. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. Submission of information

20. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adv11-dgtr@gov.in; consultant-dgtr@govcontractor.in; jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
21. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to provide all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
22. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
24. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

K. Time limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address adv11-dgtr@gov.in; consultant-dgtr@govcontractor.in; jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
27. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. Submission of information on confidential basis

28. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
29. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
30. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other

reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

31. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
32. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
33. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
36. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. Inspection of public file

37. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non confidential version of submissions/response/ information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

N. Non-cooperation

38. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority